बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–02–42/2024(स्वा0)................................ पटना, दिनांकः–..........................

डॉ0 राजेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महकार, गया के विरूद्ध इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा कर्त्तव्य पर मादक पदार्थ का सेवन किया जाता है। उनके द्वारा माननीय जनप्रतिनिधि, संस्थागत कर्मी एवं मरीज से अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया जाता है। डॉ0 कुमार के इस कृत्य से आमजनो को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने मे कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं।

2 डा0 कुमार का उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1)एवं 4 के निहित प्रावधान के प्रतिकूल है।

3 जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से डा0 कुमार को विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा मे योगदान करने का निदेश दिया जाता है।

4. साथ ही सिविल सर्जन, गया को उक्त संस्थान में पदस्थापित सबसे वरीय चिकित्सक को संस्थान का प्रभारी नामित करने का निदेश दिया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–02–42/2024(स्वा0)......05(9)......**पटना, दिनांकः–**...02/01/25...

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–संबधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये मगध प्रमंडल, गया/सिविल सर्जन, गया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ0 राजेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महकार, गया को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐ बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10,17 एव 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02/01/2025
सरकार के अवर सचिव।